बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालयः—विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

CIN-U74110BR2012 SGC 018889

Contact No.: 7763817975,7763818077, Website:www.bsptcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं0:—2503 पटना, दिनांक—09/10/2025

T-I/Alleg/AEE-14011/2024

श्री सुनीत कुमार (E14565) सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया के विरूद्ध इस कार्यालय के संकल्प सं0—2377 दिनांक—13.09.2024 के साथ संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट कर्तव्यहीनता, लापरवाही एवं उक्त के फलस्वरूप कंपनी को हुई बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री कृष्णा नन्द झा, सेवानिवृत मुख्य अभियंता, (Project-1) शहरी NBPDCL, को जाँच पदाधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा—1 को उपस्थापन पदाधिकारी मनोनित किया गया।

जाँच पदाधिकारी श्री कृष्णा नन्द झा, सेवानिवृत मुख्य अभियंता, (Project-1) शहरी NBPDCL, ने पत्रांक—06 दिनांक—10.01.2025 के माध्यम से उक्त मामले में जाँच प्रतिवेदन अन्य सुसंगत अभिलेखों के साथ समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाए गए आरोप सं0—01 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप सं0—02 को अप्रमाणित निष्कर्षित दिया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपी पदाधिकारी के लिखित बयान, गवाहों की गवाही तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के निष्कर्ष से निम्न बिन्दुओं के आधार पर असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री कुमार से संकल्प सं0—348 दिनांक—05.02.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(i) श्री सुनीत कुमार, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बलिया के प्रभारी हैं। वे ही उक्त ग्रिड में पदस्थापित सभी तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी भी है। गवाहों की गवाही से स्पष्ट है कि उक्त ग्रिड में बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, क्वॉयल एवं अन्य पूर्जो की चोरी की घटना एक दिन में संभव नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कुमार का अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है। वे दैनिक अनुश्रवण करने में भी विफल रहे है। अगर उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यो का दैनिक अनुश्रवण किया जाता रहता तो उक्त घटना घटित नहीं हो सकती थी। अतः श्री कुमार के विरूद्ध लगाए गए दोनों आरोप पूर्णतः प्रमाणित होते हैं।

(ii) जाँच पदाधिकारी के द्वार इस आधार पर आरोप को प्रमाणित नहीं पाया जाने का निष्कर्ष दिया जाना कि कंपनी को "Insurance Company" से भरपाई हो जायगी और कंपनी को कोई आर्थिक क्षति नहीं होगी, कहना स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि श्री कुमार के लापरवाही के कारण कंपनी को पूर्व में ही रूपये 30,00000/— (तीस लाख) की आर्थिक क्षति हो चुकी है। "Insurance Company" से आर्थिक क्षति का भरपाई होने का उल्लेख किया जाना जाँच पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं हो सकता है। अतः श्री के विरूद्ध रूपये 30,00000/— (तीस लाख) की आर्थिक क्षति का आरोप प्रमाणित होता है।

कृ0पृ0उ0

Rohit Ashish

श्री सुनीत कुमार, सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया द्वारा उक्त लिखित अभ्यावेदन पत्रांक–19 दिनांक–21.02.2025 के द्वारा समर्पित किया गया। सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सुनीत कुमार के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज/अभिलेखों के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि यद्यपि उक्त चोरी की सूचना 05.12.2022 को प्राप्त हुई, परन्तु इतने बड़े पैमाने पर पावर ट्रांसफॉर्मर से चोरी की घटना को अंजाम दिया जाना एक दिन अथवा एक व्यक्ति के द्वारा कदाचित संभव नहीं है। आरोपित तकनीकी कर्मी पाली कार्य हेतु ग्रिड परिसर में अवस्थित Control Room में मौजूद रहते हैं तथा हर घंटे चालू पावर Transformer से Temperature की Reading लेते थे। संदर्भित Transformer जिससे पूर्जों की चोरी हुई वह चालू Transformer से अधिक दूरी पर नहीं था। ऐसे में किसी भी असामान्य क्रियाकलाप पर पाली कार्य में कार्यरत कर्मियों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था। सहायक कार्यपालक अभियंता के ऊपर ग्रिड उपकेन्द्र की सम्पूर्ण जवाबदेही होती है। इस प्रकार ग्रिड उपकेन्द्र में चोरी की इतनी बड़ी घटना का घटित होना कार्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता को इंगित करती है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में चोरी की घटना से अनभिज्ञता जताते हुए अपने कर्त्तव्यपरायणता को दर्शाने का प्रयास किया गया है जो कि प्रारम्भ से ही उनके अभिकथन में चला आ रहा है। अतएव उनका लिखित अभ्यावेदन स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। साथ ही मामले में दर्ज FIR में अंतिम प्रतिवेदन सत्य एवं सूत्रहीन समर्पित है। इन्शयोरेंस कंपनी द्वारा Claim Settlement के क्रम में **रू0 23,40,364/–(तेईस लाख चालीस हजार तीन सौ चौसठ)** का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को किया गया है । इस प्रकार कंपनी को हुई आकलित आर्थिक क्षति से घटाए जाने पर कंपनी को रू0 **6,59,636/– (छह लाख उनसठ हजार छह सौ छत्तीस)** की आर्थिक क्षति हुई है। इसके अलावा, श्री सुनीत कुमार द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण/जवाब में उल्लेखीत तर्कों/तथ्यों को ही दोहराया गया है तथा उनके द्वारा अपने बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है।

तदालोक में सक्षम प्राधिकार के द्वारा श्री सुनीत कुमार (E14565) सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को उक्त प्रमाणित आरोपो के लिए CCA Rule 2025 (Ammendent 2007) के नियम 14 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न शास्ति अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

(i) अगले तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक

(ii) कंपनी को हुई आर्थिक क्षति रू.6,59,636/–(छह लाख उनसठ हजार छह सौ छत्तीस) का 40%=2,63,854.4/-(दो लाख तिरेसठ हजार आठ सौ चौवन रूपये चार पैसे) की वसूली कुल 10 (दस) किस्तों में

तदनुसार, श्री सुनीत कुमार (E14565), सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया के अगले **तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने तथा कंपनी**

Rohit Ashish

को हुई आर्थिक क्षति रू.6,59,636/–(छह लाख उनसठ हजार छह सौ छत्तीस) का 40% अर्थात 2,63,854.4/- (दो लाख तिरेसठ हजार आठ सौ चौवन) की वसूली/कटौती कुल 10 (दस) किस्तों में किए जाने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुनीत कुमार (E14565) सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को अग्रसारित किया जाय।

आदेशानुसार,

09.10.25

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–2504 दिनांक–09/10/2025

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेश के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09.10.25

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–2504 दिनांक–09/10/2025

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09.10.25

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–2504 दिनांक–09/10/2025

प्रतिलिपिः–निदेशक (परियोजना)/निदेशक (परिचालन)/सभी मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन/प्रशासक (मास्टर ट्रस्ट), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/उप सचिव/सभी अवर सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/डी.बी.ए./सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल/सभी लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बेगूसराय/प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/श्री सुनीत कुमार (E14565), सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, BSPTCL से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

09.10.25

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

Ashish